भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी :एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मोहन सिंह जाटव

परिचय एवं सार

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तथा अधिकारों के लिए उनके संघर्ष का प्रथम चरण 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष से प्रारम्भ होता है। महात्मा गाँधी द्वारा प्रोत्साहित महिलाओं ने सर्वप्रथम तो गृह शासन' (1916) के आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने बाद के नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। इन आंदोलनों में जो महिलाएं अग्रणी रही हैं उनमें एनी बेसेंट (जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनीं) जैसी यशस्वी महिलाएं थीं जिनके विषय में मार्गरिट कजन्स की सटीक टिप्पणी इस प्रकार है: भारतीय महिलाओं की चैतन्य एकता का प्रादुर्भाव । अन्य सुविख्यात महिलाएं जैसे सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, लेडी फिरोज मेहता, अरूणा आसफ अली, दुर्गाबाई देशमुख इत्यादि ने बाद में स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई।

तीन महिला संगठनों (विमेन्स इन्डियन एसोसियेशन ऑल इन्डिया विमेन कान्फ्रेंस तथा नैशनल काउन्सिल ऑफ विमेन इन इन्डिया) ने 1932 में द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस को एक ज्ञापन पेश किया जिसमें कहा गया था कि नए संविधान में व्यस्क मताधिकार तथा सामान्य निर्वाचकों की व्यवस्था की इन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण, नामांकन या मनोनयन के सुझाव को अस्वीकार करते हुए पूरी समानता की मांग की थी।

स्वतंत्रता से पहले की अवधि का एक महत्वपूर्ण अभिलेख एक उपसमिति की रिपोर्ट है (श्री नेहरू द्वारा 1939 में नियुक्त) जो नियोजित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर है। इसका मुख्य तर्क यह था कि महिलाओं को व्यक्ति के रूप में देखा जाये तथा उन्हें भी राजनीतिक, नागरिक एवं कानूनी अधिकार, सामाजिक समानता तथा आर्थिक स्वतंत्रता एवं विकास में पुरुषों के समान

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश के विभाजन के साथ हुए खून खराबे तथा एक बड़ी जनसंख्या के विस्थापन के बाद 1950 तथा 1960 के दशक में धर्म निरपेक्ष, बहुलवादी, बहुधार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से समन्वित राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया । इस वातावरण तथा संवैधानिक गारंटी से कुछ महिलाएं लाभान्वित हुई। मध्यम वर्ग की बहुत सी महिलाओं को विभिन्न सेवाओं एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रवेश प्राप्त करने के अवसर मिले। सरकार ने महिला मंडलों (महिला समूहों) की व्यवस्था की तथा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाए, हालांकि ये समाज कल्याण के परिप्रेक्ष्य से बनाए गये थे।

इस अवधि में महिला आंदोलन उतना सक्रिय नहीं रह पाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। महिलाओं का मोहभंग तब हुआ जब सामान्य नागरिक कोड जो सभी महिलाओं को कानूनी समानता प्रदान करता, लागू नहीं किया जा सका। हिन्दू कोड बिल भी अपने प्रारंभिक रूप में नहीं पारित किया जा सका। 1955-56 में इसका बहुत ही कटा छटों रूप चार विभिन्न अधिनियमों के रूप में पारित हो पाया जो विवाह, उत्तराधिकार संरक्षण, दत्तक- ग्रहण तथा भरण- से संबंधित है।

भारत में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी समिति ने कहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गाँधी का नेतृत्व, ये दो ऐसी प्रमुख शक्तियां थी जिन्होंने महिलाओं के लिए राजनीतिक समानता प्राप्त करने में उत्प्रेरक का काम किया।

इन दोनों ने उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाया और उन्हें घर की सुरक्षा में परदे के पीछे से मुक्त करके सार्वजनिक क्षेत्र में उतारा। उन्नीसवीं शताब्दी का सुधार आन्दोलन और महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रसार परिवार में उनकी स्थिति को सुधारने से और सामाजिक संगठन के आधारभूत एकक के रूप में परिवार को सुदृढ़ करने से ज्यादा संबंधित रहा।

महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने का अर्थ केवल उन्हें सम्पत्ति का अधिकार, विधवा विवाह का अधिकार, बाल विवाह का उन्मूलन और शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना समझा गया। इसके अलावा, यह एक अभिजात्य दृष्टिकोण पर आधारित था तथा उच्च और मध्यम वर्गों की महिलाओं की ओर लक्षित था।

अध्ययन के - उन सामाजिक मान्यताओं का पता लगाना जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाधक हैं एवं महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संबंध में ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन एवं महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों के संबंध में पिछड़ेपन के कारणों की पहचान करना।

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी का तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं उनकी सहभागिता में आने वाली समस्याओं का पता लगाना ।

महिलाओं की राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता के स्तर का पता लगाना एवं उनका चुनावों में सफलता का स्तर तथा राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली प्राथमिकताओं का तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ।

विषय-क्षेत्र का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए संदर्भित सुझावों की पहचान करना।

शोध प्रविधि -

शोध नियमों के अनुसार प्रस्तुत शोध सैद्धांतिक विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक एवं नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुये शोध लेख को मौलिकता प्रदान एवं नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुये शोध लेख को मौलिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस शोध कार्य हेतु आवश्यक सामग्री विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालयों इंटरनेट एवं शोध संस्थानों आदि में उपलब्ध साधनों के अलावा प्राचीन संदर्भ ग्रन्थों से एकत्र किया जाना अनुमन्य है। इन संदर्भ आधारित पुस्तकों के अलावा विभिन्न आयोगों के प्रकाशनों, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, राजनैतिक दलों के घोषणा पत्रों एवं राजनेताओं के भाषण इत्यादि से लेखन सामग्री संग्रहित कर विश्लेषणात्मक अध्ययन है।

संसद एवं राज्य विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व -

भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति ने यह टिप्पणी की है कि उसे अनेक विधायकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बताया है कि राजनीति में सक्रिय भागीदारी से अनेक महिलाओं को रोकने वाले कारकों में हिंसा और चरित्र हनन की धमकियां थीं। "उनमें से कुछ का राजनीति सक्रियता का लम्बा रिकार्ड है, लेकिन फिर भी वे चुनावों में उम्मीदवारी का सामना करने से हिचकती हैं।" यह टिप्पणी अभी भी सटीक बैठती है। पिछले पचास वर्षों में महिलाओं का राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व पुरूषों के मुकाबले न के बराबर रहा है।

जहां वर्ष 1957 में लोकसभा चुनाव में लड़ने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2.97 था, वहीं वर्ष 2009 में यह बढ़कर केवल 8.65 प्रतिशत तक ही पहुंचा। 1957 लेकर 2009 तक हुए चुनावों काप कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद महिलाऐं, पुरुषों के मुकाबले हर बार ज्यादा संख्या में जीतीं।

पिछले 57 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत 4.4 से बढ़कर केवल 10.7 तक ही पहुंचा है। 22 से 58 सदस्य, 4.4 प्रतिशत से 2009 में 10. 7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। दूसरे और तीसरे चुनावों में महिला सदस्य संख्या बढ़ने के बाद यह संख्या चौथे और पांचवें चुनावों के दौरान घटनी आरंभ हुई और 1977 में 3.4 प्रतिशत के निम्न स्तर को छुआ। अनुच्छेद 331 के अन्तर्गत, लोक सभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाने वाले दो में से एक सदस्य 11 वीं, 12 वीं और 13 वीं लोक सभा में महिला रही हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद लोक सभा में महिलाओं का प्रतिशत 18.4 के विश्व औसत तक नहीं पहुंचा है, और निर्णयों को प्रभावित करने हेतु अपेक्षित "महत्वपूर्ण समूह" नहीं बनाती है।

महिला आरक्षण में बाधाएँ

कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि आरक्षण के भीतर पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण मांगने की बात किसी तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरती है। अगर संसद की संरचना पर नजर डालें तो साफ हो जायेगा कि इस समय संसद में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ी जातियों के सांसदों की है। अगर महिला आरक्षण विधेयक के मौजूदा प्रारूप को स्वीकार किया जाता है तो सहज ही एक-तिहाई महिलाओं को आरक्षण मिलने लगेगा और ऐसे में बहुसंख्यक पिछड़े समुदाय की भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व संसद में अपने-आप बढ़ जायेगा जहाँ तक 20 फीसदी सीटों की दोहरी सदस्यता वाली सीट बढ़ाने का प्रस्ताव लागू करने की बात है तो इस प्रस्ताव को लागू करने के बाद भी महिलाओं के साथ भेदभाव बना रहेगा क्योंकि इसमें सभी सीटों को नहीं, सिर्फ 20 फीसदी सीटों पर दोहरी सदस्यता करने का प्रस्ताव है। इससे सांसदों के बीच भी गैरबराबरी बढ़ेगी और एक तरह का वर्ग भेद पैदा होगा और विशेषाधिकार संपन्न होगा जबकि आरक्षित सीट पर दादा सासद होगे। मतदाता भी दो-खेमों में विभाजित होंगे। विभिन्न कमेटियों की सदस्यता से लेकर फंड के बंटवारे तक दोनों में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहेगी। जाहिर है कि जब इस तरह की आरक्षण व्यवस्था होगी तो ज्यादातर महिलाएँ इसी तरह की सीटों से चुनकर आयेंगी, जिससे उनके प्रति भेदभाव बढ़ जायेगा। इस स्थिति में ज्यादा महिला सांसदों की स्थिति सिर्फ संख्या बढ़ाने वाली होगी। इससे यह तथ्य उभर कर आता है कि महिला सांसद अकेले अपने दम पर अपने क्षेत्र को नहीं संभाल पायेगी इसलिए उसे किसी पुरुष सांसद के साथ जोड़ दिया जाये। हालाँकि अब 14 वर्षों के इन्तजार के बाद 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण विधेयक (लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण हेतु) राज्य सभा से 1 के विरूद्ध 186 मतों से सदन में कॉफी हंगामें के बाद पारित हो चुका है। अतःअब लोक सभा अगले सत्र हेतु लम्बित है। इसमें आर.जे.डी., जद-यू. एव सपा ने सदन से बाल्क-आउट किया।

पंचायती राज एवं महिलाएं -

ऐतिहासिक रूप से पंचायतों में महिलाओं की भूमिका के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है क्योंकि इनमें मुख्यतः पुरुषों का आधिपत्य था। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करने वाली, बलवंतराय मेहता समिति

ने 1957 में पहली बार महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए दो महिला सदस्यों के चयन की अनमन्सा की

आलोचनात्मक विवरण -

जहाँ तक नेतृत्व का प्रश्न है, महिलाओं की भूमिका नगण्य है, विभिन्न राजनीतिक दबावों का प्रतिकार करने का परिणाम चरित्र हनन होता है तथा महिलाओं को यह विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्क ही ऐस कि समझौता करना अपरिहार्य है। मेरठ में एक महिला ने राजनीतिज्ञों का विरोध करने का प्रयास किया बदले में उसे और उसके परिवार के सदस्यों को बलात्कार, हत्या तथा अन्य धमकियों का सामना करना पड़ा। आज राजनीतिक दल वोट बैंकों के रूप में महिलाओं के महत्व को समझते हैं। अतः महिला सदस्यों का उपयोग महिलाओं के वोट प्राप्त करने के समझते हैं। अतः महिला सदस्यों का उपयोग महिलाओं के वोट प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह सही है कि वर्तमान नजरिया उस पहले नजरिये से बेहतर है

जो महिला मतदाताओं की अवहेलना इस आधार पर करता था कि उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान या पसंद नहीं है। परन्तु राजनीतिक दलों का रूख अब भी महिलाओं को अपने अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम में लाने का है महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति ने कहा है कि अधिकतर महिला उम्मीदवार अपेक्षाकृत समृद्ध परिवारों से आती हैं जिनमें पुराने राजघरानों के सदस्यों का भी समावेश है। केवल एक दल ने कभी-कभी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और मुसलमानों के महिला उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। अधिकांश महिला उम्मीदवार शिक्षित हैं, हालांकि उनके स्तरों में अन्तर है। तथापि, लगभग 70 प्रतिशत 80 प्रतिशत महिला संसद सदस्य अपेक्षाकृत बेहतर शिक्षित हैं।

स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचित महिलाओं की एक बड़ी संख्या शिक्षकों, वकीलों और अन्य जमीनी कार्यकर्ताओं की है। चाहे साक्षर हो या उतनी साक्षर न हो, महिला सदस्यों को अपने समकक्षों तथा नौकरशाही से पहचान प्राप्त करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिकारी तंत्र, विशेषकर स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा बाधक है, समाज तथा पंचायत के पुरुषों से कहीं अधिक। पितृसत्ता तथा अधिकारी तंत्र, दोनों को महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर सकती।

निष्कर्ष -

औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 'महिलाओं की वर्तमान शक्ति एवं स्थिति की शर्त ही नहीं बल्कि सूचक भी है, तथा महिलाओं के अधिकारों एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक भी है। महिलाओं के लिए निर्वाचन या राजनीतिक दलों, सामाजिक आंदोलनों या प्रदर्शनों जैसे औपचारिक राजनीतिक कार्यकलापों में सिर्फ भाग लेना पर्याप्त नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया, प्रशासन कार्यपालिका, न्यायपालिका या स्थानीय सरकारी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह सत्य नहीं है कि महिलाएँ हमेशा अन्य महिलाओं की समस्या के प्रति व्यवहार करेंगी।" सिर्फ संख्या ही पर्याप्त नहीं है और न बहुत बड़ी संख्या में औपचारिक या अनौपचारिक दृष्टि से राजनीति में भागीदारी ही उद्देश्य है एवं यह भी जानना आवश्यक है कि महिलाएँ यदि राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहती हैं तो उसका उद्देश्य क्या है ? क्या यह महिलाओं को मात्र प्रारंभिक स्थान मानकर चलना है की राजनीतिक भागीदारी के सही मूल्यांकन के लिए जिन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देना जरूरी है, उनमें से कुछ हैं महिलाओं की भागीदारी की सीमा स्तर तथा स्वरूप, महिलाओं के अधिकारों एवं जीवन पर उनका प्रभाव एवं महत्व और उनके द्वारा उठाई गई नारीवादी समस्याएँ इत्यादि।

सुझाव -

पिछले दशकों से प्राप्त हुए अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि महिलाएँ न तो राज्य पर भरोसा कर सकती है और न ही पूरी तरह इससे पृथ्क ही रह सकती हैं। उन्हें अपनी शक्ति संगठन एवं लामबंदी को अधिक सुदृढ़ करना होगा, राज्य तथा निर्णय निर्माण तक अपनी पहुंच बढ़ानी होगी एवं राज्य को महिलाओं के लिए न्यायोचित एवं समान अधिकार देने वाली संस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। शिक्षा का अभाव भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बाघया है। यह इस तथ्य से भी साबित होता है कि अधिक सक्रिय एवं स्पष्टवादी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि उच्च शिक्षा प्राप्त है। अतः सर्वप्रथम लाखों महिलाओं के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। यह सत्य है कि कई महिलाएँ 'प्राक्सी' है तथा अपने परिवारों के उन पुरुषों द्वारा खड़ी की गई हैं या नियंत्रित हैं जिन्होंने वर्षों तक सत्ता का उपभोग किया है तथा किसी कीमत पर इससे वंचित नहीं होना चाहते हैं। परन्तु यह भी सही है कि बहुत सी महिलाओं ने समय की चुनौती को स्वीकार भी किया है। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी सीटों पर निर्वाचित हुई हैं जो आरक्षित नहीं थीं। निर्वाचन के दौरान महिलाओं को हिंसा, चरित्र हनन भ्रष्टाचार इत्यादि जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। निर्वाचन के बाद उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा

संदर्भ ग्रन्थ -

- महिलाएं तथा शासन राज्य की पुनर्कल्पना एक रिपोर्ट (एकत्र) सोसाइटी
- फॉर डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स फॉर विमेन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 9.वही, पृ. 10.
- डॉ. सरला गोपालन, समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति 2001,
- राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002, पृ. 281.
- डॉ. सरला गोपालन, समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002, पृ. 283.
- गोपालन सरला, पूर्वाक, पृ. 283.
- अलका आर्य, जनसत्ता 18 अक्टूबर, 2008. प्रकाशित दिल्ली, पृ. 6